

श्रीधर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-
सेवा में,

/ 16-12

लखनऊ: दिनांक: नवम्बर: 28/2017.

RECEIVED
01 DEC 2017
B

1. समस्त मण्डलीय/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।

विषय:- अधिसूचना।

महोदय,

अवगत कराना है कि शासकीय पत्रांक-3057/14-4-2017-821/2013 दिनांक 14.11.2017 द्वारा जनपद इलाहाबाद के मेजा तहसील के चॉद खम्हरिया कृष्ण मृग आरक्षित संरक्षण क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। उक्त अधिसूचना की छायाप्रति आपको इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जाती है कि कृपया इसे अपने स्तर से अपने नियंत्राणीन प्रभागीय वनाधिकारियों को परिचालित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एस0के0 उपाध्याय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या:- 1795 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0 शीशमबाग, लखनऊ को मय संलग्नक इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

2- मुख्य वन संरक्षक, प्रचार-प्रसार, उ0प्र0, लखनऊ को मय संलग्नक के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(एस0के0 उपाध्याय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

